

बागवानी प्रक्षेत्र



राज्य योजना (चालू योजना)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों के बहुआयामी विकास, कृषकों की पोषण सुरक्षा के साथ-साथ उनके आय में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु राज्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार की योजनाएं प्रस्तावित हैं -

1. राज्य उद्यान विकास योजना -

(क) उप योजना उद्यान विकास की योजना - यह एक चालू योजना है। इस योजना अन्तर्गत बागवानी फसलों के विकास एवं कृषकों के प्रशिक्षण के विविध कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना में उच्च कोटि के पौधालय, विभागीय प्रशिक्षण, मसालों (अदरक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा इत्यादि), आलू, खुले वातावरण एवं संरक्षित वातावरण में सब्जी की खेती, टिशू कल्चर पौधे रोपण, उच्च मूल्य के फल (पेयारी, अमरूद, खरबूजा), प्लास्टिक हाउस के निर्माण (ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस), आंवला, कटहल, लिची इत्यादि, जेट्रोफा, पपीता आदि की स्थापना, मशरूम किट वितरण, पॉली हाउस का निर्माण एवं संरक्षित खेती इत्यादि के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त जैविक उर्वरक उत्पादन इकाई, फल, फूल एवं सब्जी विघटन एवं प्रसंस्करण इकाई तथा विपणन गतिविधियों का आयोजन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभागीय क्षेत्र में चारा की उपलब्धता हेतु प्रदर्शन आदि कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं कृषकों को अनुदान पर योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु0 12492.50 लाख (रुपये एक सौ चौबीस करोड़ बानवे लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।

(ख) प्रमोशन ऑफ अर्बन फार्मिंग - राज्य के शहरी इलाकों (स्थानीय निकाय क्षेत्र) में अवस्थित निजी भूखण्ड/सरकारी आवासीय भवनों तथा सरकारी आवासीय प्लेटों के लीजहोल्डर, फूलों, औषधीय पौधे तथा सब्जियों की खेती (Vertical Farming) के लिए प्रमोशन ऑफ अर्बन फार्मिंग योजना क्रियान्वित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रु0 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़) मात्र की लागत से योजना क्रियान्वयन हेतु उपबंध का प्रस्ताव है।

(ग) जैविक प्रमाणीकरण की योजना - इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करते हुए जैविक खेती को प्रोत्साहित करना एवं कृषि की लागत को कम करना है। मिट्टी की उर्वर शक्ति में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक अनाज, फल एवं सब्जियों जो ज्यादा समय तक खराब न होने का उत्पादन, कृषि की लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक का निर्माण एवं उपयोग, फलस्वरूप महंगे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग में कमी, भूमि, जल, वायुमंडल एवं जैवविविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना तीन चरणों में संचालित की जा रही है। प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक में 35000 हे०, द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक में 35000 हे० तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष

2027-28 से 2029-30 तक में 35000 हे० इस प्रकार 05 वित्तीय वर्षों में लगभग 1.05 लाख हे० भूमि को जैविक परिवर्तित करने के लिए जैविक खेती के प्रमाणीकरण के कुल 370.1250 करोड़ की लागत पर क्रियान्वयन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना विस्तार के तहत कुल रु0 35000 हे० भूमि पर जैविक खेती के प्रमाणीकरण को संचालित हेतु कुल रु0 42.8750 करोड़ मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चरण से संचालित योजना हेतु द्वितीय वर्ष की राशि रु0 38.50 करोड़ एवं द्वितीय चरण से संचालित योजना हेतु रु0 42.8750 करोड़ इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 81.3750 करोड़ (एकसी करोड़ सैंतीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(घ) हाईटेक उद्यान नर्सरी सह हाई टेक पार्क - इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य को भारत के मानचित्र में उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने एवं कृषकों के आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एकीकृत मुख्य उद्यानिकी संसाधन केन्द्र के माध्यम से विविध उद्यानिकी पौधों यथा- उन्नत किस्म के सब्जी, फल, फूल, हर्बल, मशालें, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की आधुनिक खेती तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं उद्यानिकी आधारित प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने, क्षेत्र में पारिस्थितिक और जैविक पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण करने, राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के लिए उद्यानिकी आधारित हाई-टेक पर्यटन केन्द्र का विकास करने, उन्नत उद्यानिकी प्रदर्शों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में उद्यानिकी के प्रति रुझान में बढ़ावा देने एवं राज्य के कृषकों को स्थानीय स्तर पर उच्च-गुणवत्तायुक्त उद्यानिकी पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20-25 एकड़ भू-खण्ड पर सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) में “हाई टेक उद्यान नर्सरी सह हाई टेक पार्क” की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत हाईटेक उद्यानिकी नर्सरी की स्थापना, उद्यानिकी प्रदर्श क्षेत्र, उद्यानिकी के द्वारा धारणीय आजीविका का प्रदर्श, विभिन्न प्रकार के उद्यानिकी बागों का विकास, उन्नत सिंचाई व्यवस्था एवं संसाधन का विकास, बागवानी उपस्कर एवं उपकरण संग्रहालय की स्थापना, मनोरंजन पार्क एवं संसाधन का विकास एवं अन्यान्य विभिन्न आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, संरक्षित खेती की आधारभूत संरचना की स्थापना, हाई टेक पार्क का विकास, लैण्डस्केपिंग एवं मुख्य आकर्षण केन्द्रों का विकास, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन आधारभूत संरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है। **इस योजना का कार्यान्वयन तीन वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 में कुल राशि रु0 10000.00 लाख (रूपये एक सौ करोड़) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 प्रतिशत व्यय हेतु राशि रु0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़) मात्र का प्रस्ताव है।**

(ङ) लाह की खेती - झारखण्ड राज्य में लाह उत्पादन को खेती का दर्जा दिया गया है। राज्य में लाह की खेती पारंपरिक रूप से बेर, पलाश, कुसुम, सेमिया लता इत्यादि के पेड़ पर कीट पाल कर की जाती है। आय वृद्धि के उद्देश्य से किसानों को लाह की खेती के विभिन्न आयाम यथा प्रशिक्षण, पौध सामग्री एवं बीज लाह, कटाई, प्रसंस्करण, उपस्कर इत्यादि उपलब्ध कराये जायेंगे। लाह की खेती के लिए **वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़) व्यय हेतु उपबंध का प्रस्ताव है।**

(च) मधुमक्खी पालन की योजना - राज्य के सभी जिलों में लघु/सीमान्त कृषकों को उनके आय में दो गुणी वृद्धि के साथ-साथ पौशिक एवं पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत अनुदान पर मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि का योजना कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रु0 500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़) मात्र उपबंध का प्रस्ताव है।**

2. कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन-सह- पोस्ट हार्वेस्ट आधारभूत संरचना का विकास - यह चालू योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उत्पादित उद्यानिकी एवं अन्य फसलों की कटाई पश्चात होने वाली बर्बादी को कम करना एवं उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करना है। राज्य में कटाई पश्चात फलों एवं सब्जियों आदि का उचित रख-रखाव नहीं होना, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग एवं भंडारण व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त एवं अकुशल प्रबंधन प्रणालियों का प्रचलन रहने से फलों एवं सब्जियों के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुँचने में बड़े स्तर पर क्षरण होता है। कम लागत एवं खर्चे वाली शीतगृहों एवं फलों एवं

सब्जियों का सेल्फ लाईफ बढ़ाने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर फलों एवं सब्जियों के कटाई पश्चात नुकसान को रोकने एवं मूल्य संवर्धन हेतु पोस्ट हार्वेस्ट कटाई-छँटाई, ग्रेडिंग पैकिंग सुविधा हेतु सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग इकाई, वातावरण नियंत्रित पूर्व शीतलन कक्ष इकाई, पैक हाउस इकाई, माप तौल यंत्र एवं वाष्पणिक/निम्न ऊर्जा शीत कक्ष इकाई, Solar Tunnel Dryer, Model Integrated Pack house, Processing and Packaging shed, multipurpose spice pulveriser machine, Banana slicer machine, Pouch packaging machine continuous band sealing machine and Plastic crates एवं अन्य संरचनाओं की स्थापना किया जाना अपेक्षित है। इस योजना का क्रियान्वयन कृषि उत्पादक समूह एवं कृषकों को अनुदान से किया जायेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़) मात्र उपबंध का प्रस्ताव है।**

3. झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी - बागवानी से संबंधित योजनाओं को पूरे राज्य में विस्तार करने, उद्यानिकी के क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने, उद्यानिकी फसलों के उचित बाजार, क्षमता विस्तार आदि के निमित्त **वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र से योजना क्रियान्वयन हेतु उपबंध प्रस्ताव है।**